# बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

**विज्ञापन सं.–06/2020** परिवहन विभाग, बिहार के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के रिक्त 90 (नब्बे) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :–

(क)

| क्र. सं. | कोटि | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित वर्ग | 26 | 09 |
| 2. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 06 | 02 |
| 3. | अनुसूचित जाति | 20 | 04 |
| 4. | अनुसूचित जनजाति | 02 | 00 |
| 5. | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 22 | 05 |
| 6. | पिछड़ा वर्ग | 10 | 02 |
| 7. | पिछड़े वर्ग की महिलाएँ | 04 | N/A |
| | **कुल** | **90** | **22** |

(ख)

| | | |
|---|---|---|
| 2. | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या | 01 |

**नोटः**–मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–08.01.2020 को हुई बैठक में परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के 90 पदों पर सीधी नियुक्ति के संबंध में दिव्यांगजनों के लिए कर्णांकित 04 पदों के बदले परिवहन विभाग में सृजित लिपिक के 04 पद उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है।

2. **वेतनमानः**– पुनरीक्षित–लेवल–6

3. **शैक्षणिक योग्यताः** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम); और

(iii) गियर वाली मोटर साईकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेंस) का धारण करना।

**नोटः1**–प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति (लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस) मान्य नहीं होगा।

**नोटः2–शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–09.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

4. **उम्र सीमा** – दिनांक– 01.08.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–01.08.2005 से 01.08.2019 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

**बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।**

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

5. **चयन प्रक्रियाः**–

**पार्ट–I – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।**

**लिखित परीक्षा**–लिखित परीक्षा लिए तीन पत्र यथा प्रथम पत्र–सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र–ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण **(अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे)** एवं तृतीय पत्र–मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम।

| क्र0 सं0 | विषय | पूर्णांक | परीक्षा की अवधि | परीक्षा की प्रकृति | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन | 100 | 2:00 घंटा | वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय | अंक गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएँ, स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामयिक विषय यथा वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/ भाषा/ पुस्तक /लिपि/राजधानी/मुद्रा /खेल–खिलाड़ी/ महत्वपूर्ण घटनाएँ आदि से संबंधित प्रश्न। |
| 2. | द्वितीय पत्र–ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण **(अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे)** | 100 | 2:00 घंटा | वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय | इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाईल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित है। |
| 3. | तृतीय पत्र–मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम | 100 | 2:00 घंटा | वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय | बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय वाहन नियमावली, 1989 |

**नोटः1**– उपयुक्त पत्रों में प्रथम एवं तृतीय पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र में अभ्यर्थी ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।

**नोटः2**– गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जायेगा।

**साक्षात्कार**– लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक दोनों की परीक्षा और परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा।

साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाये जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप में अंक प्राप्त किए हों जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 में प्रावधानित है– अनारक्षित–40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग– 36.5(साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 34(चौंतीस) प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांग के लिए– 32 (बत्तीस) प्रतिशत।

**साक्षात्कार में मेधा अंकों का विभाजन, बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2008 की धारा–3 के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगाः–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता | :– | प्राप्तांक के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक |
| (ख) | तकनीकी योग्यता | :– | डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक |
| (ग) | अनुभव | :– | न्यूनतम अर्हक अवधि के पश्चात् अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक, अधिकतम 9 अंक |
| (घ) | ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता | :– | 06 अंक |
| (ङ) | साक्षात्कार | :– | 25 अंक |